दूदू

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आ० स्वीकार्य / निर्णय
25/9/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हरीराम चौधरी पुत्र हनुमान चौधरी जाति जाट बनाम रमेश चन्द पुत्र नानगराम जाति जाट व अन्य

किस्म मुकदमा अपील 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 349/2019 2019/00349 सन् 2019 (दूदू)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शंकर लाल चौधरी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
25/9/19	यह अपील श्री शंकर लाल चौधरी एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 17.09.2019, प्रकरण संख्या 92/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकरी अधिनियम का प्रस्तुत किया एवं साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के आराजी खाता संख्या 631 के आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.05है0 वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है। जिससे अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी का रिश्ते में साला लगता है जिसने प्रार्थी के वृद्ध अवस्था का फायदा उठाते हुए फर्जी तरीके से उक्त आराजी में से 223/500 हिस्से का उपहार पत्र दिनांक 09.07.2018 को अपने नाम फर्जी रूप से करवा लिया। जिसके पश्चात अप्रार्थी सम्पूर्ण आराजीयात को ऐनकेन प्रकरण कब्जा करने की नियत कर रखी है तथा प्रार्थी की जमीन में आज दिन तक अस्थायी निर्माण करने की चेष्ठा भी करता है। यह कि दिनांक 20.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आया और प्रार्थी को उपहार पत्र दिखाते हुए उक्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने लगा जिसे सुनकर आसपास के लोगो ने अप्रार्थी को वापस भेंजा। इस कारण से अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दर्ज कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनकर उसी दिन आदेश किया कि न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.05 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य करावें न ही प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करे अगर अस्थायी तौर पर निर्माण किया है तथा टीनशेड लगवाये है तो अपने खर्चे पर हटा लेने न किसी प्रकार अस्थायी निर्माण करें न किसी दीगर व्यक्ति से करावें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। ----------------	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

इइ

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

349/19/225 हरिराम बनाम रमेश चन्द

तारीख पेशी	2019/00349 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सांवरलाल ली श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	व्यक्ति से करावें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखने के आदेश दिये है। हालांकि अप्रार्थी संख्या1/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति करनी चाहिए थी,उन्होने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे तौर यह अपील प्रस्तुत की है जो विधि सम्मत नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड़ में यदि अपीलांट का विवादित भूमि पर हो रखे निर्माण को हटाते है तथा बेदखल करते है तो प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति अपीलांट को ही होती है। अधीनस्थ न्यायालय (फास्ट ट्रेक), दूदू के प्रार्थना पत्र के पुश्त पर किये गये आदेश एवं पृथक से लिखाये गये आदेश में भिन्नता होने के कारण आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। **अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर,(फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 17.09.2019, प्रकरण संख्या 92/2019 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर,(फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.05 है. वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद की आज दिनांक की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** 25/9/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	